न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 20/2026

रामचन्द्र पुत्र भीखाराम व अन्य
बनाम
राज0 राज्य जरिये तहसीलदार ओसियां (जोधपुर)

दिनांक 21.01.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 497/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में तहसील ओसियां के ग्राम हरिओम नगर स्थित अपीलांट्स के खसरा नम्बर 41/1 एवं 42 की खातेदारी कब्जाकाश्त भूमि में से कमशः 0.1437 हैक्टर व 0.0931 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। इसके अलावा अन्य खसरान 41, 240, 41/2, 38 व 44 में से उल्लेखित रकबा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। जिसके लिए अपीलांट एवं अन्य संबंधित खातेदारो/काश्तकारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। नकल नक्शा किस्तवार की प्रमाणित प्रति के अनुसार उक्त रास्ता अपीलांट के ख0नं0 41/1 के बीच में से काटा गया है, जिससे उक्त खसरा दो भागों में विभाजित हो गया है। वादग्रस्त भूमि के मौके पर किसी प्रकार का रास्ता चालू नही है तथा गुगल ईमेज दिनांक 09.01.22 के अनुसार उक्त खसरान में एक अन्य रास्ता पूर्व से मौजूद है। तहसीलदार का प्रस्ताव मौका स्थिति का निरीक्षण किए बिना तैयार किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को संबंधित खातेदारों की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

जबाव में रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव पर पारित किया गया है। जो राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 की पालना में अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट सपठित धारा 58, 59, 60, 66, 86 राज0 भू–अभिलेख नियम 1957

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ★ जोधपुर ★

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के तहत प्रस्तुत किया गया था। जो विधिसम्मत है, तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव पर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलांट का कथन है कि उक्त रास्ता अपीलांट के ख0नं0 41/1 के बीच में से काटा गया है, जिससे उक्त खसरा दो भागों में विभाजित हो गया है तथा उक्त खसरा अन्य प्रभावित खसरान के मध्य में स्थित है, जो संलग्न नक्शा किश्तवार की प्रति से सावित है। अतः प्रकट तथ्यों के आधार अपीलाधीन आदेश अपीलांट के ख0नं0 41/1 एवं 42 ग्राम हरिओम नगर की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 497/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को अपीलांट्स के ख0नं0 41/1 व 42 की रकबा भूमि तक निरस्त कर, प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों/सहखातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.1.26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर फैसल शुमार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित जावे।

21.1.26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर